

कार्यालय नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, राजा का तालाब,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 04/एन.टी./आर.के.टी.

तारीख पेशी : 20-08-2025

उनवान मुकद्दमा :

सतिन्द्र कुमार

बनाम

कृष्णा देवी आदि।

विषय.—मुश्ट्री/मुनादी व चस्पांगी करवाये जाने सम्बन्धी।

नोटिस बनाम

1. कृष्णा देवी पुत्री गुरदिता, 2. कुशल कुमार पुत्र सुर्दशना देवी, 3. अजय कुमार पुत्र सुर्दशना देवी, 4. रिम्पी शर्मा पुत्री सुर्दशना देवी 5. पुष्प शर्मा पुत्र शिवकर्ण, 6. अक्षित शर्मा पुत्र शिवकर्ण, 7. नीलम देवी पत्नी शिवकर्ण, 8. विकास पठानिया पुत्र कुलदीप सिंह, 9. अनुराधा पुत्री कुलदीप सिंह, 10. कचन वाला पुत्री कुलदीप सिंह, 11. अनिल देवी पत्नी कुलदीप सिंह, 12. युद्धवीर सिंह पुत्र गर्धव सिंह, 13. सुशीला देवी पुत्री गर्धव सिंह, 14. प्रदीप कुमार पुत्र अमर नाथ, 15. अजय कुमार पुत्र अमर नाथ, 16. राम सिंह पुत्र कर्म चन्द, 17. गणेश कुमार पुत्र कर्म चन्द, 18. संतोष कुमारी पुत्री कर्म चन्द, 19. पासो देवी पुत्री कर्म चन्द, 20. शशी वाला पुत्री कर्म चन्द, निवासी गांव व डाकघर लाडथ, उप-तहसील राजा का तालाब।

उक्त मुकद्दमा में प्रतिवादी/प्रतिवादीगण उपरोक्त की तलवी के लिये इस अदालत द्वारा साधारण तरीके से कई बार इस अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए गए परन्तु साधारण तरीके से तामील न हो पा रही है, जिस कारण प्रतिवादी/प्रतिवादीगण की तामील न होने पर उक्त केस में अग्रिम कार्यवाही करने में विलम्ब हो रहा है।

अतः इस नोटिस इशतहार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादी/प्रतिवादीगण/हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह/वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 20-08-2025 को समय 10.00 बजे सुबह अदालतन या वकालतन हाजिर अदालत आवें, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार हस्त जाबता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

कार्यालय नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, राजा का तालाब,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 05/एन.टी./आर.के.टी.

तारीख पेशी : 20-08-2025

उनवान मुकद्दमा :

सतिन्द्र कुमार

बनाम

कृष्णा देवी आदि।

विषय.—मुश्ट्री/मुनादी व चस्पांगी करवाये जाने सम्बन्धी।

नोटिस बनाम

1. कृष्णा देवी पुत्री गुरदिता, 2. कुशल कुमार पुत्र सुर्दशना देवी, 3. अजय कुमार पुत्र सुर्दशना देवी, 4. रिम्पी शर्मा पुत्री सुर्दशना देवी 5. विकास पटानिया पुत्र कुलदीप सिंह, 6. अनुराधा पुत्री कुलदीप सिंह, 7. कचन वाला पुत्री कुलदीप सिंह, 8. अनिल देवी पत्नी कुलदीप सिंह, 9. युद्धवीर सिंह पुत्र गर्धव सिंह, 10. सुशीला देवी पुत्री गर्धव सिंह, 11. प्रदीप कुमार पुत्र अमर नाथ, 12. अजय कुमार पुत्र अमर नाथ, 13. राम सिंह पुत्र कर्म चन्द, 14. गणेश कुमार पुत्र कर्म चन्द, 15. संतोष कुमारी पुत्री कर्म चन्द, 16. पासो देवी पुत्री कर्म चन्द, 17. शशी वाला पुत्री कर्म चन्द, 18. उत्तम चन्द पुत्र कांशी राम, निवासी गांव व डाकघर लाडथ, उप-तहसील राजा का तालाब।

उक्त मुकद्दमा में प्रतिवादी/प्रतिवादीगण उपरोक्त की तलवी के लिये इस अदालत द्वारा साधारण तरीके से कई बार इस अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए गए परन्तु साधारण तरीके से तामील न हो पा रही है, जिस कारण प्रतिवादी/प्रतिवादीगण की तामील न होने पर उक्त केस में अग्रिम कार्यवाही करने में विलम्ब हो रहा है।

अतः इस नोटिस इश्तहार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादी/प्रतिवादीगण/हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह/वे उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 20-08-2025 को समय 10.00 बजे सुबह अदालतन या वकालतन हाजिर अदालत आवें, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार हर्ष जाबता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्रीमती सुषमा पत्नी मदन लाल, निवासी गांव भटोली पकवा, डाकघर सुनहारा, तहसील फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भाटिया में जन्म पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती सुषमा पत्नी मदन लाल, निवासी गांव भटोली पकवा, डाकघर सुनहारा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत भाटिया के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी बेटी की जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उनकी बेटी का नाम व जन्म दिनांक 23-04-2011 को हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत भाटिया के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई। इसलिए अब ग्राम पंचायत भाटिया के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया की बेटी की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26-08-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थिया की बेटी का जन्म पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री दीपक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील फतेहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /नाम दुरुस्ती/2025

श्री वावी उपनाम करन देव पुत्र देश राज, गांव व डाकघर ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा,
हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954.

प्रार्थी श्री वावी उपनाम करन देव पुत्र देश राज, गांव व डाकघर ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनका नाम आधार कार्ड व मैं दर्ज है, जबकि राजस्व रिकार्ड महाल घमेटा, तहसील फतेहपुर में प्रार्थी का नाम वावी दर्ज है व वावी व करन देव एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम वावी उपनाम करन देव दर्ज किया जाए। इस आशय की पुष्टि में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना आधार कार्ड Driving License व नकल जमाबन्दी, महाल सुनेहड, पटवार वृत्त ज्वाली, तहसील ज्वाली की छायाप्रति संलग्न की है।

अतः इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को श्री वावी उपनाम करन देव पुत्र देश राज, गांव व डाकघर ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के आवेदन बराये दुरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल घमेटा खास तहसील फतेहपुर सूचित किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी के आवेदन के प्रति कोई आपत्ति है तो वह दिनांक 26-08-2025 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अन्यथा प्रार्थी के नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अजय शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 01 / दुरुस्ती / एन.टी. / 2024

तारीख पेशी : 25-08-2025

1. श्री काकू राम पुत्र मेहर सिंह, गांव मलहन्ता, डाकघर दियाणा, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 38(2) नाम दुरुस्ती हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

श्री काकू राम पुत्र मेहर सिंह, गांव मलहन्ता, डाकघर दियाणा, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र बाबत नाम दुरुस्ती हेतु गुजारा है कि प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम उसके स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड में व पंचायत रिकार्ड में काकू राम पुत्र मेहर सिंह दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल मलहन्ता में काका राम पुत्र मेहरो पुत्र जगता दर्ज है जिसे प्रार्थी उपरोक्त अभिलेख के अनुसार काका राम पुत्र मेहरो की बजाये काकू राम पुत्र मेहर सिंह पुत्र जगता दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी को प्रार्थी उक्त के नाम को महाल हजा में दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-08-2025 को प्रातः 10 बजे असातन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी के नाम काकू राम पुत्र मेहर सिंह पुत्र जगता, महाल मलहन्ता, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री विजय कुमार शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 01 / ना / 2025

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 25-08-2025

रेखा देवी पुत्री स्व0 नारायण दास, गांव व डाकघर हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 हाल पत्नी सुभाष चन्द पुत्र छगणु राम, गांव रोपड़ी, डाकघर महाराजनगर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत जन्म पंजीकरण बारे।

इशतहार मुश्री मुनादी।

रेखा देवी पुत्री स्व० नारायण दास, गांव व डाकघर हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि० प्र० ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र हल्फी ब्यान पेश किया व आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 05-05-1971 को गांव व डाकघर हरोट, ग्राम पंचायत हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है, इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया के घरवालों द्वारा जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत हरोट के अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत हरोट को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुश्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त रेखा देवी पुत्री रोशनी देवी पत्नी स्व० नारायण दास, गांव व डाकघर हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि० प्र० के जन्म तिथि 05-05-1971 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 25-08-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश उप-स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत हरोट को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 25-07-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

**Before the Marriage Officer-cum-Sub Divisional Officer,
Tehsil Dheera (H.P.)**

In Ref. :

Sheetal Sharma & Seema

Versus

General Public

Application for Registration of marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by the undersigned from Seetal Sharma s/o Sh. Sushil Kumar Sharma, r/o Village Nanwalkar, P.O. Naura,

Tehsil Dheera, Distt. Kangra (H.P.) Pin Code-176 084 and Seema (D.O.B. 04-11-1990) d/o Sh. Om Prakash, r/o VPO Jalpehar, Tehsil Joginder Nagar, District Mandi (H.P.). If there is any objection on this marriage, the objection in person or through counsel be submitted to this office on or before 03-09-2025 otherwise will be registered.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Officer,
Dheera, District Kangra (H.P.).*
